शासन द्वारा मान्यता प्राप्त ॥ संघे शक्ति कलयुगे ॥ पंजीयन क्र.03473/12/11/73

मध्यप्रदेश पटवारी संघ

उपेन्द्र सिंह बाघेल
प्रान्ताध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ भोपाल
पानी टंकी के पास दक्षिण करौंदिया
जिला-सीधी (म.प्र.) मो.-9893765596
Email : baghel.upendra@yahoo.in
mppatwarisanghbhopal@gmail.com

धर्मेन्द्र शर्मा
महामंत्री म.प्र. पटवारी संघ भोपाल
269, अम्बिकापुरी एक्स, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.)
मो. 94245-51455, 76930-51455
Email : dharmendra4528@gmail.com

क्रमांक139/पट.संघ/2025 **दिनांक 16/01/2025**

प्रति,
माननीय राजस्व मंत्री महोदय,
मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

विषय:- प्रदेश के पटवारियों की मूलभूत समस्याओं का उचित निराकरण करने हेतु।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, वर्तमान समय प्रदेश के पटवारियों को लगातार विभिन्न अभियानों तथा अन्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सम्माननिधी, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, ई-केवाईसी तथा फार्मर रजिस्ट्री जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन दिन-रात जी तोड़ मेहनत द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश का पटवारी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित होकर आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। जिसके मुख्य कारण निम्नानुसार है।

1. **एग्री स्टेक व अन्य भत्ते का भुगतान नहीं होना :- वर्तमान समय में प्रदेश का पटवारी शासन की विभिन्न योजनाओं एवं लगातार राजस्व महाभियान में जी-तोड़ मेहनत के बावजूद विगत तीन माह से अपने एग्री स्टेक, स्टेशनरी तथा फिक्स टीए जैसे भत्तों के भुगतान की मूलभूत सुविधाएं से वंचित होकर लगातार आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है। जिससे सिर्फ प्रदेश पटवारी ही नहीं, अपितु उसका पुरा परिवार भी लगातार हर माह शोषित हो रहा है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु पटवारी भत्ते के मद का उचित बजट उपलब्ध कराने का कष्ट करें, बार बार आने वाली इस समस्या का स्थाई निराकरण हो।**

2. **राजस्व महाभियान 3.0 में पटवारियों को प्रताड़ना:- विगत वर्ष में लगातार राजस्व महाभियान 1.0, 2.0 तथा 3.0 सतत चलाया गया है। जिसमें रिकार्ड तोड राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ है। जिसमें प्रदेश के पटवारियों की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। किंतु प्राय: यह पाया जाता हैं कि, इन अभियानों के समय अत्यधिक राजस्व एवं योजनाओं के कार्यो की वजह से साफ्टवेयर एवं सर्वरों पर अत्यधिक दबाव होने से कार्य करना बंद कर देते हैं, अथवा अत्यधिक धीमी गति से चलते हैं। किंतु उक्त तकनीकी समस्याओं पर ध्यान ना देकर पटवारियों को प्रताड़ित या दंडित**

मध्यप्रदेश पटवारी संघ

उपेन्द्र सिंह बाघेल
प्रान्ताध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ भोपाल
पानी टंकी के पास दक्षिण करौंदिया
जिला-सीधी (म.प्र.) मो.-9893765596
Email : baghel.upendra@yahoo.in
mppatwarisanghbhopal@gmail.com

धर्मेन्द्र शर्मा
महामंत्री म.प्र. पटवारी संघ भोपाल
268, अम्बिकापुरी एक्स, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.)
मो. 94245-51455, 76930-51455
Email : dharmendra4528@gmail.com

क्रमांक139/पट.संघ/2025 **दिनांक 16/01/2025**

किया जाता है। इसी प्रकार विगत दो राजस्व अभियानों में अधिकांशतः राजस्व प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। अब ऐसे प्रकरण या कार्य शेष रहे है। जो वास्तव में अत्यधिक जटिल ओर विवादित है। जिनमें न्यायालयीन सुनवाई एवं समुचित समय की आवश्यकता है। किंतु पटवारियों की पक्ष जाने बगैर ही उनपर कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु श्रीमान से निवेदन है कि, प्रदेश के प्रत्येक जिलों के जिला कलेक्टर महोदय को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वो पटवारियों की मीटिंग आयोजित करवाकर उनकी उचित समस्याओं को सुने एवं उचित निराकरण करवाए।

3. नवीन पटवारियों को शत प्रतिशत वेतन भुगतान :- वर्तमान समय में नवीन पटवारियो से शासन अन्य पटवारियों के समान ही कार्य करवा रहा है। किंतु उन्हें प्रथम वर्ष वेतन 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत का भुगतान प्राप्त हो रहा है। जो समान कार्य समान वेतन के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध होकर नवीन पटवारियों का आर्थिक शोषण की श्रेणी में आता है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा सभी नवीन कर्मचारियों को शत प्रतिशत वेतन भुगतान की घोषणा भी की गई थी। किंतु आज तक कोई क्रियान्वयन संबंधित आदेश जारी नहीं हुआ है।

4. पदोन्नति व समयमान वेतनमान:- राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक पद पर पदस्थ सभी का वेतन उन्नयन एवं पदोन्नत किया गया है। किंतु सिर्फ पटवारियों का ना तो वेतन उन्नयन किया गया , ना ही पदोन्नत किया गया है। जबकि प्रदेश के प्रत्येक जिले मे राजस्व निरीक्षक के पद उनकी पदोन्नति होने व सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए है। ऐसे रिक्त पदों पर जिलों के वरिष्ठ पटवारियों को पदोन्नत किया जावें। अन्य कर्मचारियों की भांति पटवारियों को भी पदोन्नत पद का लाभ प्राप्त हो। इसी प्रकार सीआर के अभाव में प्रदेश के हजारों पटवारी समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित है। इसलिए सीआर लिखने की व्यवस्था कायम होने तक इसकी अनिवार्यता समाप्त कर, प्रदेश स्तर पर अभियान चलाकर पटवारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ

उपेन्द्र सिंह बाघेल
प्रान्ताध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ भोपाल
पानी टंकी के पास दक्षिण करौंदिया
जिला-सीधी (म.प्र.) मो.-9893765596
Email : baghel.upendra@yahoo.in
mppatwarisanghbhopal@gmail.com

धर्मेन्द्र शर्मा
महामंत्री म.प्र. पटवारी संघ भोपाल
269, अम्बिकापुरी एक्स, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.)
मो. 94245-51455, 76930-51455
Email : dharmendra4528@gmail.com

क्रमांक139/पट.संघ/2025 **दिनांक 16/01/2025**

5. कैडर रिव्यू :- प्रदेश के पटवारियों के लिए कैडर रिव्यू का प्रस्ताव लाया गया था। जिसपर प्रदेश के पटवारी सहमत थे। किंतु उक्त प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाकर कोई क्रियान्वयन आदेश जारी नहीं हुआ है। उक्त कैडर रिव्यू को लागू किया जावे।

ज्ञअतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रदेश के पटवारियों की उक्त न्यायसंगत समस्या का उचित निराकरण करने का कष्ट करें। उक्त समस्या का निराकरण ना होने के स्थिति में प्रदेश का पटवारी मजबूरन आंदोलन हेतु बाध्य होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

उपेन्द्र सिंह बाघेल
प्रांताध्यक्ष
म.प्र.पटवारी संघ भोपाल